

**विहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.**

फोन नं- 2223727  
फैक्स नं- 2224529

राष्ट्रीय/स्पद्धा/ई० निविदा (एस० बी० डी०)

**अल्पकालीन ई-निविदा संख्या - 10/SBD/2020-21**

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 05-09-2020
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 16-09-2020 से दिनांक- 21-09-2020 को 17:00 बजे अपराह्न तक।
- 4 निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 23-09-2020 को 17:00 बजे तक।
- 5 (क) तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 25-09-2020 को 16:00 बजे।  
(ख) वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी वीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
- (ग) परिमाण-विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में : कंडिका- 42 के अनुसार अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान
- 6 प्री विड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक- 18-09-2020 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 7 निविदा पत्र विकी का स्थान : [www.eprocbihar.gov.in](http://www.eprocbihar.gov.in) पर।
- 8 निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य० अभिनी०, विप०भ०नी०नी०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रु० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पटना जिलान्तरगत राजबंशीनगर स्थित पुलिस वितंतु कार्यालय के टी०एक्स भवन में E.R.S.S. परियोजना के Site Preparation हेतु Civil, Electrical एवं Interior Work फर्मिचर सहित कार्य।	पटना	744.38	1488800	10000	17700	6 माह
2.	भागलपुर जिलान्तरगत शाहकुण्ड थाना में नक्सल थाना भवन, 6 य०० एस० आवास, 6 एल० एस० आवास, पुलिस निरीक्षक कार्यालय तथा आवास, 5 सीटेड शौचालय सह स्नानागार, बाच टावर एवं मोर्चा का का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	718.47	1437000	10000	17700	12 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेदित हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद विहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निवेदन तथा S.B.D. में निहित प्रावधान के तहत कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में विहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निवेदन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निवेदन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाइसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाइसेंस अनिवार्य होगा।

क०प०उ०....2/

13. वैसे संवेदक जो किसी भी विभाग में निविदा में भाग लेने से बंधित (Debar) हैं या काली सूची में अंकित हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात् घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा संबंधित जानकारी, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, रोड नं०-२५, श्री कृष्णानगर, पटना-०१ के दुरभाष संख्या -०६१२ २५४५३०६ से प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निवंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आवश्यक निवंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निवंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाईट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर हीं जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय होना चाहिए।
21. अग्रधन के रूप में छ/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट / किसान विकास पत्र /(तीन वर्षीय) डाकघर सावधि जमा/ अनुसूचित बैंक का फिक्सड डिपोजिट प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय बैंक का बैंक गारंटी, जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा अथवा बैंक गारंटी जो विड के मान्य अवधि तक के लिए विहार अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर विहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे विहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत कराया जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। S.B.D. के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जाएगा।
23. कम्पनी एक्ट के तहत निवंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निवंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगी। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. विना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अरवीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं विहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड ३ वर्ष का होगा।

क०प००७०...३/

28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार गालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्वि (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।
32. S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप सभी कागजातों के अलावा पहला (i) G.S.T निवंधन प्रमाण—पत्र, (ii) ऐन कार्ड, (iii) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (iv) परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलीमौति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/ क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
34. निविदाकार द्वारा विगत पाँच वर्षों का Financial Statement आयकर विभाग के Site से Watermark के साथ Download किया हुआ एवं Chartered Accountant द्वारा Financial Statement /Turnover UDIN Certified हो को निविदा के साथ अपलोड करने पर ही उस वर्ष हेतु मान्य माना जायेगा।
35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।
36. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तदआलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
- परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिमू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।

39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बंधित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
41. एस0बी0डी0 के विहित प्रपत्र के अनुरूप शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है।
42. इ. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर विहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए रवतंत्र होगा।

ज्ञापांक— एच0क्यू— २४२०

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक— एच0क्यू— २४२०

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल— पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी औन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक— एच0क्यू— २४२०

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल— 1/2, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल-मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण—1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक—एच0क्यू— २४२०

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, पटना एवं भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक— ५/९/२०१०

मुख्य अभियंता,

विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक— ५/९/२०१०

मुख्य अभियंता,

विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक— ५/९/२०१०

मुख्य अभियंता,

विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

५/९/२०१०

मुख्य अभियंता,

विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।